

प्रेस नोट

दिनांक: 11.10.2026

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.10.2026 को थाना मोतीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिपरा भितौरा में राजेन्द्र वर्मा पुत्र राम सुधार वर्मा निवासी ग्राम छजवा, सहायपुरवा, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा अपनी बहन पिकी वर्मा के ससुराल पक्ष में विवाद एवं मारपीट की सूचना मिलने पर उसे लेने जाने के दौरान मारपीट किए जाने के संबंध में तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार, पिकी वर्मा का विवाह करीब 10 वर्ष पूर्व जगताराम वर्मा पुत्र चन्द्रभान वर्मा निवासी पिपरा भितौरा के साथ हुआ है। दिनांक 08.10.2026 को पिकी वर्मा द्वारा फोन से सूचना दी गई कि ससुराल पक्ष के लोगों से विवाद हुआ है तथा उसके देवर राजकुमार वर्मा द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। सूचना पर राजेन्द्र वर्मा अपने भाई रोहित वर्मा, चचेरे भाई विकास वर्मा तथा ग्राम के प्रिंस तिवारी, अमित वर्मा एवं खुशीलाल गोस्वामी के साथ पिपरा भितौरा पहुंचे। आरोप है कि वहां राजकुमार वर्मा व राजेश कुमार पुत्रगण चन्द्रभान वर्मा द्वारा उन्हें गाली-गलौज करते हुए लाठी-डण्डों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई, जिसमें राजेन्द्र वर्मा, रोहित वर्मा, विकास वर्मा एवं पिकी वर्मा को चोटें आईं। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पूजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 221/26 धारा 109(1)/115(2)/ 352/351(3) बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों राज कुमार वर्मा उर्फ सोनू व राजेश कुमार वर्मा को मुखबिर की सूचना पर पिपरा भितौरा अंधरिजोत गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 01- राज कुमार वर्मा उर्फ सोनू पुत्र चन्द्रभान वर्मा निवासी पिपरा भितौरा थाना मोतीगंज गोण्डा।
- 02- राजेश कुमार वर्मा पुत्र चन्द्रभान वर्मा निवासी पिपरा भितौरा अंधरिजोत थाना मोतीगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

- 01- मु0अ0सं0 221/26 धारा 109(1)/115(2)/ 352/351(3) बीएनएस थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

- 01 व0उ0नि0 रामभवन पासवान
- 02- उ0नि0 नारदमुनि कन्नौजिया
- 03- हे0का0 दयानन्द यादव
- 04- हे0का0 ज्ञानदेव यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.10.2026

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना एवं कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 10.10.2026 को उपनिरीक्षक विभव तिवारी मय पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमण एवं अपराध/अपराधियों की रोकथाम हेतु झंझरी तिराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि ड्रीम पैलेस के पीछे पूरे शिवाबख्तावर में खूटी के घर के पास संदिग्ध मादक पदार्थ की बिक्री की जा रही है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे एक व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मुन्ना पुत्र बब्बू उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी मेवतियान, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा बताया। अभियुक्त के कब्जे से 180 पुड़िया स्मैक कुल 3.60 ग्राम हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 नगर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुन्ना पुत्र बब्बू उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी मेवतियान, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 931/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 180 पुड़िया स्मैक कुल 3.60 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 विभव तिवारी
2. हे0का0 रामप्रीत यादव
3. का0 आनन्द कुमार
4. का0 अर्पित पटेल
5. का0 शिवम तिवारी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 11.10.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति द्वारा अपनी करीब 15 वर्षीय पुत्री के दिनांक 02.10.2026 की शाम घर से लापता होने के सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर तहरीर दी गई थी। परिजनों द्वारा बालिका की काफी तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। तलाश के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि कल्लू उर्फ आलिम पुत्र मुजीब निवासी पूरे गिरधारी, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज पर मु0अ0सं0 379/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 11.10.2026 को उ0नि0 प्रवीण सिंह मय हमराह हे0का0 राजकरन यादव क्षेत्र में वांछित अभियुक्त की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त चंदापुर से कोडर जाने वाले तिराहे पर वाहन की प्रतीक्षा कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त कल्लू उर्फ आलिम पुत्र मुजीब निवासी पूरे गिरधारी, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा, को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कल्लू उर्फ आलिम पुत्र मुजीब निवासी पूरे गिरधारी, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

02- मु0अ0सं0 379/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस, थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रवीण सिंह, थाना
2. हे0का0 राजकरन यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11.10.2026

थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए दृष्टेरीत करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 394/26, धारा 108 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त रिकू कोरी पुत्र रामकुमार कोरी निवासी ग्राम मदनापुर, थाना छपिया, जनपद गोण्डा को झिलाही बाजार स्थित L&T प्लांट के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी रामबली पुत्र रामसागर निवासी ग्राम अम्बरपुर खेसरी, थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि उन्होंने अपनी का विवाह लगभग दो वर्ष पूर्व रिकू कोरी पुत्र रामकुमार कोरी निवासी ग्राम मदनापुर, थाना छपिया, जनपद गोण्डा के साथ किया था। करीब पांच माह पूर्व उसके ससुरालीजनों द्वारा मारपीट कर घर से भगा दिया गया था, जिसके बाद से वह अपने मायके ग्राम अम्बरपुर में रह रही थी। रिकू की अपने पति से प्रतिदिन बातचीत होती थी। आत्महत्या करने से पूर्व भी उसकी अपने पति रिकू कोरी से बातचीत हुई थी, जिसके बाद उसने कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 11.10.2026 को थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी अभियुक्त रिकू कोरी पुत्र रामकुमार कोरी को झिलाही बाजार स्थित L&T प्लांट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रिकू कोरी पुत्र रामकुमार कोरी निवासी ग्राम मदनापुर, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 394/26, धारा 108 बीएनएस, थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 लालजी, थाना मनकापुर।
2. कां0 अमित पाल।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 11-10-2026

थाना कटराबाजार पुलिस गौवध निवारण अधिनियम के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्रवण कुमार शुक्ला पुत्र राम राखन शुक्ला ग्राम टेपरा मगुरही थाना कटराबाजार जनपद गोंडा द्वारा थाना कटराबाजार पर लिखित तहरीर दी गई की दिनांक 22.09.2026 को वह गाय व गाय का बछिया को खेत में चारा चरने हेतु खूटा में बांधकर आया था। शाम को वापस लेने गया तो गाय की बछिया वहां से गायब थी जिसके संबंध में कुछ लोगों पर उनकी गाय की बछिया को काटकर उसका मांस बेचने का संदेह है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 229/2026, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस एवं 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त दौलत पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी ग्राम कौड़हा जगदीशपुर, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा, को सरयू नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दौलत पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी ग्राम कौड़हा जगदीशपुर, थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा,

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 229/2026 धारा 303(2) BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

1. उ0नि0 श्री सौरभ सिंह
2. कां0 संदीप कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में बलवा ड्रिल का आयोजन कर पुलिस बल को कराया गया अभ्यास

गोण्डा। आज दिनांक 11.10.2026 को आगामी त्योहारों के दृष्टिगत रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक की उपस्थिति में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस बल को त्योहारों के दौरान शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, भीड़ नियंत्रण तथा किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न अभ्यास कराए गए। बलवा ड्रिल के दौरान पुलिस बल को दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रयोग, भीड़ को नियंत्रित करने, उपद्रव की स्थिति में प्रभावी कार्रवाई करने तथा परिस्थितियों के अनुसार संयमित एवं सतर्क रहकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अभ्यास कराया गया। साथ ही, किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पुलिस बल द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया देने, आपसी समन्वय स्थापित करने तथा आवश्यकतानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। ड्रिल का उद्देश्य आगामी त्योहारों के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस बल को शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार रखना, दंगा नियंत्रण संबंधी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना तथा जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना है। गोण्डा पुलिस द्वारा आगामी त्योहारों को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। गोण्डा पुलिस आमजन से अपील करती है कि त्योहारों को आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाएं तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 11.10.2026

साइबर धोखाधड़ी में प्रयुक्त म्यूल बैंक खाते के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, 01 मोबाइल फोन बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एनसीआरपी पोर्टल, समन्वय, प्रतिबिम्ब एवं अन्य डिजिटल इंटेलिजेंस माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के परीक्षण में अभियुक्त दिवाकर शुक्ला पुत्र विजय कुमार शुक्ला निवासी ग्राम सेवरही सेवराहा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा से संबंधित कैनरा बैंक खाते एवं लिंक मोबाइल नंबरों के विरुद्ध देश के विभिन्न राज्यों से साइबर अपराध की 02 शिकायतें दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई। जांच में प्रकाश में आया कि संबंधित बैंक खाते का उपयोग साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि के लेन-देन हेतु म्यूल बैंक खाते के रूप में किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में दोनों शिकायतकर्ताओं को कुल लगभग ₹5,04,800 की आर्थिक क्षति होने का उल्लेख है। इस संबंध में थाना खरगूपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही:

दिनांक 11.10.2026 को उपनिरीक्षक शंकर सोनकर मय हमराह कांस्टेबल गौरव सिंह क्षेत्र में वांछित अभियुक्त की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त दिवाकर शुक्ला सेवरहा तिराहे पर मौजूद है तथा कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:

01- दिवाकर शुक्ला पुत्र विजय कुमार शुक्ला निवासी ग्राम सेवरही सेवराहा, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग:

01- मु0अ0सं0 265/2026, धारा 318(4), 317(5) बीएनएस एवं 66डी आईटी एक्ट, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम:

1. उ0नि0 शंकर सोनकर
2. कां0 गौरव सिंह

मीडिया सेल गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 11.10.2026

थाना कोतवाली देहात एवं साइबर सेल गोण्डा की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी केवाईसी व कूटरचित आधार कार्ड से अवैध सिम एक्टिवेट कर साइबर ठगों को बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, मोबाइल फोन, 02 सिम कार्ड व फर्जी आधार कार्ड बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण

साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एनसीआरपी (NCRP) पोर्टल, समन्वय, जेएमआईएस (JMIS) पोर्टल, प्रतिबिम्ब एवं अन्य डिजिटल इंटेलिजेंस माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के परीक्षण में प्रकाश में आया कि पीओएस एजेंट अजय कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए कई सिम कार्डों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज हैं। जांच के दौरान संबंधित सिम धारकों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल अपने निजी उपयोग हेतु सिम प्राप्त किए थे तथा उनके नाम पर जारी अन्य संदिग्ध सिम कार्डों की उन्हें जानकारी नहीं थी। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 972/2026 धारा 318(4), 338 बीएनएस एवं धारा 66C, 66D आईटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही

दिनांक 11.10.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं साइबर सेल गोण्डा की संयुक्त टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अजय कुमार सिंह को मुखबिर की सूचना पर बालपुर जाट केशवजोत मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन, दो एयरटेल सिम कार्ड तथा एक कूटरचित आधार कार्ड बरामद किया गया।

अपराध करने का तरीका

जांच में प्रकाश में आया कि अभियुक्त अजय कुमार सिंह अधिकृत सिम विक्रेता (पीओएस एजेंट कोड: 03381995AJAYINGH) है। अभियुक्त सिम खरीदने अथवा पोर्ट कराने आने वाले ग्राहकों से सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर एक से अधिक बार फेस केवाईसी कराता था। इसके बाद ग्राहक को एक सिम उपलब्ध कराने के साथ ही उसी ग्राहक की दोबारा कार्रवाई गई फेस केवाईसी का दुरुपयोग कर दूसरा सिम एक्टिवेट कर लेता था। इसके अतिरिक्त फोटो एडिट कर कूटरचित आधार कार्ड तैयार करने तथा अन्य ग्राहकों की फेस आईडी का दुरुपयोग कर अवैध रूप से सिम एक्टिवेट करने की बात भी प्रकाश में आई है। अभियुक्त इन सिम कार्डों को टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप के माध्यम से साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था तथा कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत नकद कमीशन कूरियर के माध्यम से प्राप्त करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- अजय कुमार सिंह पुत्र धनलाल सिंह, निवासी ठठिया मठिया, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0 972/2026, धारा 318(4), 338 बीएनएस एवं धारा 66C, 66D आईटी एक्ट, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. एक मोबाइल फोन वीवो (VIVO Y31 5G)।
2. दो एयरटेल सिम कार्ड।
3. एक कूटरचित/फर्जी आधार कार्ड, जिस पर एडिटेड फोटो लगी हुई थी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. अतिरिक्त निरीक्षक श्रवण कुमार वर्मा थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।
2. उ०नि० संत शरण यादव, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।
3. का० जागेश्वर गौड़, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।
4. का० मनीष कुशवाहा, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।
5. साइबर सेल गोण्डा की टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

दिनांक: 11.10.2026

शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मिशन शक्ति अभियान फेज-5 द्वितीय चरण के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के लिए निकाली गई रैली, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना-

गोण्डा। आज दिनांक 11.10.2026 को शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज-5 द्वितीय चरण के अंतर्गत जनपद गोण्डा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रैली थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के गुरुनानक चौक से प्रारंभ होकर गुडूमल चौराहा, ईदगाह एवं दुखहरण नाथ मंदिर होते हुए थाना कोतवाली नगर पर समाप्त हुई। रैली के दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने आमजनमानस को महिला सुरक्षा, महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान, उनके अधिकारों तथा महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरूक किया। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को किसी भी प्रकार की समस्या अथवा उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहने, तत्काल पुलिस को सूचना देने तथा उपलब्ध सहायता सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज-05 द्वितीय चरण के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा समाज में महिला सुरक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को शासन द्वारा संचालित महिला कल्याणकारी योजनाओं, सुरक्षा संबंधी प्रावधानों एवं पुलिस सहायता सेवाओं की जानकारी देकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। गोण्डा पुलिस द्वारा आमजनमानस से अपील की जाती है कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा उनके अधिकारों के संरक्षण में सहयोग करें। किसी भी महिला संबंधी अपराध, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय से आवश्यक सहायता एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, प्र0नि0 को0 नगर, महिला थाना प्रभारी, प्रभारी WCSO सहित अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहे।

गोण्डा पुलिस — महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध।

मीडिया सेल, गोण्डा।